कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,भिण्ड(म0प्र0)

// आ दे श //

क्रमांकः–...06.... /लेखा/2022 भिण्ड, दिनांकः–**10/01/2022**

वर्तमान में कोविड–19 महामारी का ओमीक्रोन वेरीयंट संबंधी संक्रमण काफी तीव्रता से फैल रहा है। जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की सूचना क्रमांक–516, दिनांक–24.12.2021 अनुसार दिनांक–23.01.2022 को चतुर्थ श्रेणी प्रवर्ग में आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारीगण (भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, स्वीपर एवं माली) की सीधी भर्ती हेतु दिनांक–23.01.2022 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार को अन्य आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

(अक्षय कुमार द्विवेदी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक–...78.... /लेखा/2022 भिण्ड,दिनांक–...10/01.../2022

प्रतिलिपि आदेशानुसारः–

(1) निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, सिविल जिला भिण्ड, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर माननीय पोर्टफोलियो महोदय के समक्ष प्रस्तुति हेतु सादर प्रेषित।

(2) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

(3) प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित सर्विस प्रोवाईडर को दिनांक–23.01.2022 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार से संबंधित अभ्यर्थीगण को अविलंब अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

(4) सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(5) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग भिण्ड की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय भवन के सूचना पटल पर चस्पा कराकर पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।

(6) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर उक्त आदेश की प्रति संबंधित की ओर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(7) जनसम्पर्क अधिकारी भिण्ड की ओर साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(8) लेखापाल कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,